**भू-सुधार एवं भू-प्रबन्ध नीति**
                काश्तकारो की समस्या की पराकाष्ठा भू-राजस्व तथा भू-प्रबन्धन की पूर्व में प्रचलित स्थिति को देख्नने से आसानी से ज्ञात हो सकती हैं। उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्तर पर भूमि नीति बनी। रजस्थान राज्य द्वारा राष्ट्रीय नीति के परिपेक्ष्य मे इन स्थितियों क पुनरावलोकन किया गया। राजस्थान के उद्भव के समय व्याप्त परिस्थितियों व स्थितियों के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकताऍ निर्धारित कर भूमि सुधार व भू-प्रबन्धन का व्यापक कार्य प्रारम्भ हुआ जिसमें मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थे:-

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | बिचौलियों का उन्मूलन तथा काश्तकार का सीधा सम्बन्ध राज्य के अधीन करना।  |
| 2. | काश्तकारी, भू-राजस्व तथा भू-प्रबन्ध हेतु सम्पुर्ण राज्य में एकीकृत व्यवस्था क्रियांवित करना। |
| 3. | तत्काल ऐसे कदम उठाया जाना, जिससे काश्तकार व उप काश्तकार के बेदखली जैसे गैर का कानूनी व्यवहार से सुरक्षा हो तथा उनके हितों की संरक्षा की जा सके। |
| 4. | जिन क्षेत्रो में भू-सर्वेक्षण व भू-प्रबन्ध की कार्यवाही नही हुई, उनमे ऐसी कार्यवाही हेतु कदम उठाये जाकर इन्हे पूर्ण किया जाना। |
| 5. | भू-अभिलेख को तैयार व उद्यतन कर उनके निरंतर रख-रखाव के कार्य करना। |
| 6. | सम्पूर्ण राज्य में एकीकृत भू-राजस्व व्यवस्था लागू कीया जाना। |

                 सब से पहले बिचौलियो, जागीरदारों/ठिकानेदारों को समाप्त किया गया। इसके लिये राजस्थान भू-सुधार एंव जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 का विनियमन किया गया जो दिनांक 18.02.1952 से प्रवृत्त हुए। उक्त अधिनियम के अंतर्गत जागीर पुनर्ग्रहण के अलावा जागीरदार के समस्त अधिकार, स्वत्व तथा हित राज्य सरकार में भारविहित निहित होने का प्राव्धान किया गया तथा जागीरदारों को मुआवजा भुगतान तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था के साथ ही खुदकाश्त भूमि पर काश्तकारो को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई। जागीर पुनर्ग्रहण की प्रक्रिया जून, 1954 में शूरू की जाकर लगभग एक दशक में पूर्ण हुई। इस संबन्ध मे अंतिम अधिसुचना दिनांक 21.06.1963 को जारी की गई।

                जागीरों के पुनर्ग्रहण के पश्चात जागीर की भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई व काश्तकार को ही राज्य सरकार द्वारा भूमि काश्त हेतु दी गई तथा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इस प्रकार काश्तकार को अपनी भूमि पर स्वामितव/मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गये एंव वे जागीरदार की दया व निर्भरता से मुक्त हो गये।

                राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 को माह नवम्बर, 1959 से प्रवृत्त किया गया। इसके अंतर्गत जमीदारी व बिस्वेदारी अधिकार समाप्त किये गये। जमींदारो एंव बिस्वेदारों को मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था के साथ ही खातेदारी व खुदकाश्त भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई। उक्त जमींदारी व बिस्वेदारी के उन्मूलन से सम्पुर्ण राज्य में कश्तकारो को वही अधिकार व राहत प्रदान हुई जो कि जागीर प्रथा के उन्मूलन से कश्तकारो को प्रप्त हुई।

                भू-राजस्व प्रशासन व भूमि अधिकार के संबन्ध में सबसे महत्वपुर्ण अधिनियम राजस्थान कश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा राजस्व भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के रूप मे प्रवृत्त किये गये। राजस्थान कश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 15.10.1955 से लागू किया गया जिसमें काश्तकारी (टीनेंसी) के सम्बन्ध में व्यापक प्रावधान किये गये। उक्त अधिनियम द्वारा काश्त्कारी कानून का एकीकरण व संशोधन के साथ ही भूमि सुधार के प्रावधान लागू हुये। राज्य सरकार समस्त भूमि का भूमिधारी हो गई एंव किशानो को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इस अधिनियम की धारा 55 के अनुसार जिस काश्तकार द्वारा सरकारी जमीन मे किसी अधिकार के अनुसरण मे खेती की जाती थी, उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इसके अस्तित्व मे आने के बाद रियासतो का कनून समाप्त कर दिया गया एंव पुरे राज्य में एक ही कानून लागू हो गया।

                राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 दिनांक 1.7.1956 से लागू हुआ था। इसके द्वारा राजस्व न्यायालयो/अदिकारियों की नियुक्तिया, अधिकार व कर्तव्य, भू-अभिलेख को तैयार करने व रख-रखाव, सर्वे, भू-प्रबन्धन, भू-विभाजन, राजस्व लगान व अन्य समान प्रकरणो का एकीकरण व संशोधन तथा अन्य विभिन्न प्रावधानो को सम्मिलित किया गया।

                इसके साथ-साथ ही राजाओ की भूमि को अधिग्रहण करने के लिये राजस्थान भू-सुधार अंव भू-सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम, 1963 लागू किया गया जिसके अंतर्गत राजाओ की जमीन का अधिग्रहण किया गया। इन नये कानूनों के प्रभावशील होते ही रियासतकालीन कानून, परम्परा, व्यवस्था, परिपत्र आदि स्वतः ही समाप्त हो गये।